

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-३ राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफँक :— ०१४१-२२२२४०३, ई-मेल:—dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:—www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :— एफ ५५()Engg./CE/DLB/17/२११७०-३६१

दिनांक :— १३/११/२०१७

आयुक्त, नगर निगम समस्त
आयुक्त, नगर परिषद समस्त
अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय:— राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किये जाने वाले
कार्यक्रमों/की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि राज्य सरकार के चार वर्ष आगामी 13 अक्टूबर को पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवसर पर विभाग की ओर से कि जाने वाली कार्यवाही अन्तर्गत सभी स्कूलों में ८ से १३ दिसम्बर २०१७ के मध्य में स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। जिसमें प्रमुखताः निम्न गतिविधियां करवायी जा सकेंगी।

१. स्कूल परिसर में स्थित शौचालयों में साफ-सफाई तथा पानी की व्यवस्था
२. स्कूल परिसर में स्थित शौचालयों के सैफ्टीक टैंक/~~स्कॉपिट~~ को खाली करने की व्यवस्था
३. स्कूल परिसर में सामान्य साफ-सफाई (general cleanliness)
४. स्कूल परिसर के आस-पास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था
५. स्कूल परिसर में उत्पन्न होने वाले गीले कचरे (एक दिवस में सौ किलो से अधिक) का कम्पोस्ट खाद बनाकर स्कूल परिसर में उसका उपयोग
६. सभी विद्यालयों में सक्रिय स्वच्छता समितियां।

➤ स्कूलों में स्वच्छता कमेटी हेतु प्रधानाध्यापकों से संपर्क कर Cleanliness hygiene हेतु Students के बीच Awareness बनाना।

➤ स्वच्छ कमेटी के रोल एवं Responsibilities का निर्धारण

➤ स्कूलों में मासिक Cleanliness audit करवाकर स्वच्छता कमेटी के कियाकलापों का आकलन।

➤ स्वच्छता कमेटी की audit को स्थानीय प्रिंट मीडिया में प्रसारण एवं अच्छे कार्य करने वाली स्कूल का मिडिया में प्रचार

७. आसपास के गांवों में सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता ड्राइव एवं प्रदर्शन निकाय क्षेत्र में १०० किमी की परिधि में आने वाले किसानों द्वारा कम्पोस्ट खाद को उपयोग लेने एवं कम्पोस्ट खाद को खरीदने हेतु प्रोग्राम बनाकर किसानों को प्रेरित करना।

अतः आप कृपया उपरोक्तानुसार अपने—अपने निकाय के स्कूलों में दिनांक ८ नवम्बर से १३ नवम्बर, २०१७ तक स्वच्छता अभियान चलाये जाने हेतु संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य से सामजस्य कर आवश्यक कार्यवाही संपादित करावें तथा की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करावें। साथ ही इस दौरान की गई गतिविधियों को विभागीय बेवसाइट तथा स्वच्छ भारत मिशन की बेवसाइट पर अपलोड करावें।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :— १३/११/२०१७

क्रमांक :— एफ ५५()Engg./CE/DLB/ १६/ २१३६२-५१४
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

१. प्रमुख शासन सचिव माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।

2. विशिष्ट सचिव माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
7. निजी सचिव, निदेशक स्वच्छता।
8. जिला कलेक्टर समस्त।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
10. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
11. निजी सहायक मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
12. उपनिदेशक क्षेत्रीय समस्त।
13. प्रोग्रामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

३५
भूपेन्द्र माथुर
मुख्य अभियंता